



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



संख्या 2/71

/ए-4./पी.एम.ए.वाई/537

दिनांक : 12-06-2019

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, कानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा० अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक सं०
1-	027002	जनपद कानपुर देहात में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत 480 नग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	2392.27	37/01/2019-20

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशा०स्वी०से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई०डी०नं० के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। नियमानुसार ई-निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये। भवनों का रेरा में पंजीकरण लाभार्थियों की संख्या के आधार पर चरणों में कराया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जायें एवं तदनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।

(अनिल कुमार मिश्र)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ०सं०: 2/71

/ए-4./पी.एम.ए.वाई/537

दिनांक: 12-06-2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ०आ०आ० एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
- अधिशासी अभियन्ता (पी०-2)/निर्माण खण्ड-18, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर